निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 75 / 2023
दायरा दिनांक :– 21.07.2023
निर्णय दिनांक :– 17/10/2025

उनवान

1. आदित्य सिंह हाडा पुत्र सुरेन्द्र सिंह
2. इला हाडा पत्नी स्व0 सुरेन्द्र सिंह
3. ऋषि हाडा पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह जातियान राजपूत निवासीगण कोयला तहसील बारां जिला बारां हाल मुकाम जयपुर राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. द्वारकीलाल पुत्र गोपाल जाति किराड निवासी कोयला
2. भैरूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति किराड निवासी कोयला
3. नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल जाति किराड निवासी कोयला तहसील बारां जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट
निर्णय दिनांक :– 17/10/2025
अभिभाषक उपस्थितः– 1. श्री ओम भारद्वाज एड0– प्रार्थीगण
2. श्री लक्ष्य भारद्वाज एड0– अप्रार्थीगण

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, राज0 टी0 एक्ट अप्रार्थीगण द्वारा इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम कोयला तहसील बारां की आराजी खाता संख्या नया 1014 पुराना 1014 की आराजी खसरा नं0 166 रकबा 0.12 हेक्टे० खसरा नं0 167 रकबा 0.03 हेक्टे० खसरा नं0 168 रकबा 1.07 हेक्टे० खसरा नं0 172 रकबा 0.69 हेक्टे० खसरा नं0 173 रकबा 0.29 हेक्टे0 खसरा नं0 174 रकबा 0.10 हेक्टे० खसरा नं0 175 रकबा 0.05 हेक्टे० खसरा नं० 176 रकबा 0.80 हेक्टे० खसरा नं0 177 रकबा 0.09 हेक्टे० कुल किता 9 कुल रकबा 3.24 हेक्टे० स्थित है जिसे आगे वादपत्र/ प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजियात के नाम सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है उपरोक्त आराजी के सामने देवस्थान के रूप में बालाजी का मंदिर व एक विश्रामगृह तथा एक शिवमंदिर स्थित है जिसमे से बालाजी के मंदिर व विश्रामगृह के बीच मे से होकर प्रार्थीगण के खेत पर

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

ने जाने का रास्ता स्थित है। प्रार्थीगण के पूर्वजो तथा प्रार्थीगण के द्वारा ही उपरोक्त मंदिर व विश्रामगृह निर्मित करवाया गया है तथा उनका जीर्णोद्वारा भी प्रार्थीगण के द्वारा ही करवाया गया है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजियात पर अर्सा 30–40 वर्षो से उपरोक्त रास्ते मे से होकर ही अपने खेतो में आते जाते रहे है तथा अपने कृषि यंत्रो को लाते ले जाते रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी के सामने देवस्थान के आगे दीवार बनाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि उपरोक्त आराजी से होकर प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का प्रचलित रास्ता तथा प्रार्थीगण के ही देवस्थान व विश्रामगृह निर्मित है। अप्रार्थीगण का उपरोक्त आराजियात पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है अप्रार्थीगण ग्राम कोयला के दंबग राजनैतिक रसूख वाले व्यक्ति है जो जबरन प्रार्थीगण के आराजी के आगे दीवार बनाकर प्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने के रास्ते को बंद करने पर आमादा है जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते की आराजियात पर स्थित देवस्थान व विश्रामगृह के बीच आने जाने वाले रास्ते पर अप्रार्थीगण को अतिक्रमण करने से रोकने के लिये जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है। अप्रार्थीगण जबरन दादागिरी व राजनैतिक रसूख के बल पर अपने समाज का नाम लेकर उक्त दीवार बनाने पर आमादा है जबकि उपरोक्त आराजियात प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात है तथा अप्रार्थीगण को उपरोक्त आराजी पर किसी भी प्रकार की मदालखत करने का व निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधाका संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने वाले रास्ते पर किसी प्रकार से दीवार का निर्माण नही करे प्रार्थीगण को उनकी आराजियात पर आने जाने में किसी प्रकार व्यवधान न तो स्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी का जर्ये सम्मन तलव किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री लक्ष्य भारद्वाज एड0 का वकालतनामा व जवाब किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 1014 पुराना 1014, खसरा नं0 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, नकल फोटोग्राफ, पेश की गई। अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत 2073–2076, खाता संख्या नया 363, पुराना 363, नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत 2073–2076, खाता संख्या नया 1115, पुराना 01, नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत 2073–2076, खाता संख्या नया 1014,

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

पुराना 1014, नकल नक्शा जमाबन्दी ग्राम कोयला खसरा संख्या 151, खाता संख्या नया 01 पुराना 01, नकल नक्शा जमाबन्दी ग्राम कोयला खसरा संख्या 171, खाता संख्या नया 01 पुराना 01, नकल नक्शा जमाबन्दी ग्राम कोयला खसरा संख्या 179, खाता संख्या नया 01 पुराना 01, नकल नक्शा जमाबन्दी ग्राम कोयला खसरा संख्या 155, खाता संख्या नया 01 पुराना 01, पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि वाके ग्राम कोयला तहसील बारां की आराजी खाता संख्या नया 1014 पुराना 1014 की आराजी खसरा नं0 166 रकबा 0.12 हेक्टे० खसरा नं0 167 रकबा 0.03 हेक्टे० खसरा नं0 168 रकबा 1.07 हेक्टे० खसरा नं0 172 रकबा 0.69 हेक्टे० खसरा नं0 173 रकबा 0.29 हेक्टे0 खसरा नं0 174 रकबा 0.10 हेक्टे० खसरा नं0 175 रकबा 0.05 हेक्टे० खसरा नं० 176 रकबा 0.80 हेक्टे० खसरा नं0 177 रकबा 0.09 हेक्टे० कुल किता 9 कुल रकबा 3.24 हेक्टे० स्थित है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है उपरोक्त आराजी के सामने देवस्थान के रूप में बालाजी का मंदिर व एक विश्रामगृह तथा एक शिवमंदिर स्थित है जिसमे से बालाजी के मंदिर व विश्रामगृह के बीच मे से होकर प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का रास्ता स्थित है। प्रार्थीगण के पूर्वजो तथा प्रार्थीगण के द्वारा ही उपरोक्त मंदिर व विश्रामगृह निर्मित करवाया गया है तथा उनका जीर्णोद्वारा भी प्रार्थीगण के द्वारा ही करवाया गया है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजियात पर अर्सा 30–40 वर्षों से उपरोक्त रास्ते मे से होकर ही अपने खेतो में आते जाते रहे है तथा अपने कृषि यंत्रो को लाते ले जाते रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी के सामने देवस्थान के आगे दीवार बनाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि उपरोक्त आराजी से होकर प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का प्रचलित रास्ता है। अप्रार्थीगण को उपरोक्त आराजी पर किसी भी प्रकार की मदालखत करने का व निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने वाले रास्ते पर किसी प्रकार से दीवार का निर्माण नही करे प्रार्थीगण को उनकी आराजियात पर आने जाने में किसी प्रकार व्यवधान न तो स्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की आराजी देवस्थान के चारों ओर स्थित है एवं उसमें जाने का

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

रास्ता देवस्थान के मध्य से न होकर सीधे खसरा नंबर 165, 179, 151 गैरमुमकिन रास्ते मे से होकर जाता है। प्रार्थीगण द्वारा देवस्थान विभाग किस्म की आरांजी में स्थित बालाजी मंदिर खसरा नंबर 189 को स्वयं के स्वामित्व का बताते हुए यह प्रार्थना प्रस्तुत किया है जबकि सत्यता यह है कि खसरा नबर 169 रकबा 0.16 हे9 आराजी किस्म गैरमुमकिन देवस्थान खाता संख्या 363 नया ग्राम कोयला खातेदार छत्रवीर सिंह पुत्र रघुराज सिंह एव मन्दाकिनी पुत्री शूरवीर सिंह के खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पूर्णतया असत्य एव बेबुनियाद तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं। प्रार्थीगण की मंशा है कि वे देवस्थान की जमीन को येनकेन प्रकारेण स्वयं की भूमि से घिरी होने के कारण हथिया लेवे इस कारण ग्रामवासियान द्वारा जनकल्याण कार्य हेतु किये जाने वाले आराध्य देव हनुमान जी के मंदिर की बाउन्ड्रीवाल के निर्माण को गलत मंशा रखते हुए रूकवोन की गरज से असत्य तथ्यो पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मूल खातेदार छत्रवीरसिंह पुत्र रघुराजसिंह एव मन्दाकिनी पुत्री शूरवीरसिंह को दावे मे पक्षकार नहीं बनाया गया हैजबकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के अनुसार खातेदार को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। ग्रामवासियान द्वारा उक्त देवस्थान विभाग की जमीन जो छत्रवीरसिंह जी के नाम पर खाते में दर्ज है की पूर्व अनुमति से ही बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया गया था। प्रार्थर्थीगण को अन्य खातेदार के खाते की आराजी में हो रहे भू–सुधार कार्य पर स्थायी ६ अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है साथ ही प्रार्थीगण की आराजी चारो तरफ से गैरमुमकिन रास्ता खसरा नंबर 165, 151 एवं 179 के जर्ये आराजी तक जाने हेतु चारों दिशाओं से समुचित रास्ता होने के कारण उक्त आधार पर देवस्थान आराजी के बाउन्ड्रीवाल निर्माण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी खसरा नंबर 171, 166 गैरमु० रास्ता आराजी 165 से लगवा है जिससे होकर प्रार्थीगण आम तौर पर अपनी आराजी पर आते जाते रहे है। जो इनका आने जाने का प्रचलित रास्ता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम कोयला तहसील बारां की आराजी खाता संख्या नया 1014 पुराना 1014 की आराजी खसरा नं0 166, खसरा नं0 167, खसरा नं0 168, खसरा नं0 172, खसरा नं0 173, खसरा नं0 174, खसरा नं0 175, खसरा नं० 176, खसरा नं0 177 कुल किता 9 कुल रकबा 3.24 हेक्टे० स्थित है। जो प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में पहुचने हेतु आराजी के समीप खसरा नम्बर 165 एवं 151 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है। प्रार्थीगण को स्वयं की आराजीयात पर रास्ता हेतु पूर्व में समीप में खसरा नम्बर 165 एवं 151 दर्ज गै0मु0 रास्ता का उपयोग किया जा सकता है।

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

प्रार्थीगण की भूमि तक पहुचने हेतु वैकल्पिक सरकारी रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि पर निकलने हेतु को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

1. प्रथम दृष्टया– प्रथम दृष्टया मामला ठोस तथ्यों पर आधारित नही है। क्योकि विवादित आराजी खसरा नं0 166, 167, 168, 172, 173, 174, नं0 175, 176 एवं 177 कुल किता 9 कुल रकबा 3.24 हेक्टे० में आने जाने के रास्ता हेतु प्रार्थी की आराजियात के समीप खसरा नम्बर 165 एवं 151 गै0मु0 सरकारी रास्ता दर्ज है। जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खेत पर आ जा सकता है। प्रार्थीगण की भूमि से समीप राजकीय रास्ता दर्ज होने से अप्रार्थीगण की आराजीयात में होकर रास्ता दिया जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन – प्रार्थीगण को स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु आराजी के समीप ही खसरा नम्बर 165 एवं 151 गै0मु0 सरकारी रास्ता दर्ज है। जिसमें से प्रार्थी अपनी आराजियात पर आ जा सकता है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

4. अपूर्णनीय क्षति – प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की आराजियात पर आने जाने हेतु रिकॉर्ड अनुसार समीप ही सरकारी वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। पूर्व से मौजुद वैल्पिक रास्ता होने से प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग कर अपनी आराजियात पर आ जा सकते है। प्रार्थीगण के पास रिकॉर्ड रास्ता उपलब्ध होने से अप्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। प्रार्थीगण सरकारी रास्ता से कृषि कार्य हेतु अपनी आराजियात तक आ जा सकता है। इसलिए प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होना प्रतित नहीं होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक–आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बाराँ